



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 203722

शपथ-पत्र

(5234) हम कि राजबहादुर सिंह (अध्यक्ष) एवं सुमन सिंह (सचिव) क्रमशः अध्यक्ष व सचिव, रमाशंकर एजुकेशनल एण्ड वेलफेर ट्रस्ट, कुशहाँ रसीदपुर, पो-० उधरन, तहसील-बेल्थरारोड, जनपद-बलिया (उ०प्र०) शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी ट्रस्ट रमाशंकर एजुकेशनल एण्ड वेलफेर ट्रस्ट, कुशहाँ रसीदपुर, पो-० उधरन, तहसील-बेल्थरारोड, जनपद-बलिया (उ०प्र०) नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी ट्रस्ट का नाम ट्रस्ट रमाशंकर एजुकेशनल एण्ड वेलफेर ट्रस्ट, कुशहाँ रसीदपुर, पो-० उधरन, तहसील-बेल्थरारोड, जनपद-बलिया (उ०प्र०) जहाँ पर भूमि स्थित है। जिसका गाटा सं०-265 व 304 रकबा - 2.00 एकड़ भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं० 265 व 304 रकबा 2.00 एकड़ व कुल रकबा 0.810 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 01.08.2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति तक समृद्ध उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भूमि को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

.....2.

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा ।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा ।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा ।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती द्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा ।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा । यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कभी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा । इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी ।
13. मैं घोषण करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है । यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी । ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा ।

सुमन सिंह
ह०सचिव

राज बहादुर सिंह
ह० अध्यक्ष

४३१

This Statement is made on the day 02/9/2023
at
by Shri/Smriti Raj Bachchan Singh
S/o D/o W/o Suman Singh
R/o Kukla Rohtak Pw. B/Road
Distt. Rohtak who satisfactorily understands
the contents wears & puts his/her signature on
Identified by Shri A.K. Srivastava/-
Note: Note verify attest

02/9/2023

